

भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग क्रय एवं भंडार निदेशालय



विक्रम साराभाई भवन, '0' तल, अणुशक्तिनगर,

मुंबई, महाराष्ट्र – 400 094.

विज्ञापन सं.2/क्रभनि/2018

प्रवर श्रेणी लिपिक/ कनिष्ठ क्रय सहायक/ कनिष्ठ भंडारी पद हेत् संयुक्त भर्ती

"सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने के लिए प्रयत्नशील है, जिसमें लैंगिक संतुलन प्रदर्शित होता हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

- श्रम्भ एवं भंडार निदेशालय (क्रभिन), मुंबई, क्रभिन की भारत भर में स्थित अन्य क्षेत्रीय इकाइयों में तथा पऊनिप, मुंबई में प्रश्लेल/ कक्रस/ कभं पदों की रिक्तियाँ भरने हेतु निम्निलिखित वर्ग 'ग' पदों के लिए पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
 - 1. पद का नाम : प्रवर श्रेणी लिपिक/ कनिष्ठ क्रय सहायक/ कनिष्ठ भंडारी वर्ग 'ग' अ-राजपत्रित

	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व	अनारक्षित	कुल	
	4	4*	15	11*	34	
रिक्त पदों की संख्या	* प्रत्येक का एक पद पऊनि	ऊनिप, मुंबई की आवश्यकता के संबंध में प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में अ.ज.जा				
और अनारक्षित श्रेणी में भरा जाएगा ।						
शैक्षिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, जिसमें कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक हो ।					
	वांछनीय – 1. अंग्रेजी टंकण में 30 श.प्र.मि. की न्यूनतम गति					
	2. कम्प्यूटर डाटा प्रोसेसिंग़ का ज्ञान					
	3. सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा (क.क्र.स/कभं. हेतु) ।					
आयु सीमा	न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष					
वेतन बैंड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4, आरम्भिक वेतन ₹25500/- एवं केन्द्रीय सरकारी नियमों के अनुसार					
	स्वीकार्य भत्ते ।					

II. <u>आयु सीमा छूट:</u> सभी पदों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष

- (ए) ऊपरी आयु सीमा में छूट: अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 5 वर्ष और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 3 वर्ष।
- (बी) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट: अनारक्षित 10 वर्ष, अनुसूचित जाति/ जनजाति 15 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग - 13 वर्ष ।
- (सी) उन सभी व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट स्वीकार्य होगी, जो साधारणत: जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर क्षेत्र में दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक की अविध के दौरान अधिवासी रहे, बशर्ते कि किसी भी परीक्षा में बैठने हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट, संबंधित नियमों के अंतर्गत अनुमेय अवसरों की अधिकतम संख्या के अधीन होगी। जो व्यक्ति अनुमेय आयु सीमा की इस छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें निम्नानुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा:
 - (i) कश्मीर क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट से, जिसके क्षेत्राधिकार में वे सामान्यत: निवास करते थे; अथवा
 - (ii) किसी अन्य प्राधिकारी से, जो जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा इसके लिए पदनामित किया गया हो, इस आशय का प्रमाणपत्र कि वे जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर क्षेत्र में दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक की अवधि के दौरान सामान्यत: अधिवासी रहे थे।

- (डी) 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों/परिवार के सदस्यों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट स्वीकार्य होगी ।
- (ई) जिन विभागीय अभ्यर्थियों की समान क्षेत्र में अथवा संबद्ध काडर में आवेदन की अंतिम तारीख को 3 वर्षों की लगातार या नियमित सेवा हो चुकी है वे कर्मचारी सरकारी आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट के पात्र हैं।
- (एफ) भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में छूट: वर्ग 'ग' के पदों के लिए, जिस भूतपूर्व सैनिक ने सशस्त्र बलों में कम से कम छह माह की लगातार सेवा की हो, उसे ऐसी सेवा की अवधि, उसकी वास्तविक आयु में से घटाने की अनुमित दी जाएगी और यदि, परिणामी आयु विहित अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो तो, उसकी आयु-सीमा की शर्त पूरी हुई ऐसा माना जाएगा।

टिप्पणी: केवल जन्म प्रमाणपत्र या माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र ही जन्म तारीख के सबूत के रूप में स्वीकार्य होगा। परिवर्तन के लिए बाद में किया गया कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख ही आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख होगी।

III. <u>चयन प्रक्रिया</u>: सभी पदों के लिए चयन आरंभिक स्क्रीनिंग और बाद में निम्नलिखित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में अर्हता के आधार पर किया जाएगा। आवेदनों की जांच के बाद, पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों को, प्रतियोगी लिखित परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। परीक्षा मुंबई में आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा के स्थान का विवरण, बाद में इसी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए मुंबई में उपस्थित रहना होगा।

परीक्षा का स्वरूप: (प्रश्रेलि/कक्रस/कभं के लिए संयुक्त परीक्षा)

स्तर-।: लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी)

भाग	विषय	अधिकतम अंक/ प्रश्न	समय	दृक् विकलांग अभ्यर्थियों के लिए समय
ए	सामान्य अंग्रेजी	50		
बी	सामान्य ज्ञान	50	2 घंटे	2 घंटे 40 मिनट
सी	सामान्य बुद्धि एवं तर्क	50		
डी	मात्रात्मक अभिक्षमता (अंकगणित)	50		

स्तर-II: लिखित परीक्षा (विवरणात्मक)

विषय	अधिकतम अंक	समय	दृक् विकलांग अभ्यर्थियों के लिए समय
अंग्रेजी भाषा तथा बोध	100	3 घंटे	4 घंटे

नोट:

- ए) यदि और जब भी आवश्यक लगा, परीक्षा एक से अधिक बैच में आयोजित की जाएगी।
- बी) स्तर-**। की परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी होगी ।** भाग बी, सी, डी के संबंध में प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होंगे । भाग ए के प्रश्न अंग्रेजी में होंगे ।
- सी) स्तर-। परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को स्तर-॥ परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा ।
- डी) स्तर-II परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।

IV. <u>ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना :</u>

- 1. अभ्यर्थियों को वेबसाइट https://recruit.barc.gov.in/barcrecruit/ या www.dpsdae.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। **आवेदन का कोई अन्य उपाय/ तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।**
- 2. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे विज्ञापन में प्रकाशित पदों के ब्यौरे तथा अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें।
- 3. अभ्यर्थियों के पास वैध ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर होना चाहिए। इस भर्ती के दौरान, यह सक्रिय रहना चाहिए। यह निदेशालय, लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन इत्यादि के लिए बुलावा पत्रों की सूचना, केवल पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से भेजेगा।
- 4. ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दिनांक <u>01.09.2018</u> से शुरू की जाएगी तथा दिनांक <u>30.09.2018</u> को बंद कर दी जाएगी।
- 5. अभ्यर्थियों को आवेदन प्रस्तुत करते समय .jpg या .jpeg फार्मेट में स्पष्ट पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना आवश्यक है। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर का साइज प्रत्येक के लिए **50KB** से अधिक नहीं होना चाहिए।

V. सामान्य अनुदेश:

- 1. <u>आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख तक,</u> जिन अभ्यर्थियों ने शैक्षिक अर्हता प्राप्त नहीं की है वे आवेदन न करें।
- 2. केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवारत व्यक्तियों को दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने नियोक्ता का "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना होगा।
- 3. ऊपर दर्शाई गई रिक्तियाँ, अनंतिम एवं परिवर्तनशील हैं। विज्ञापित रिक्त पदों की भर्ती, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन है।
- 4. स्क्रीनिंग में चयनित आवेदकों को ही, प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
- 5. विज्ञापन में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने मात्र से, कोई अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए जाने हेतु हकदार नहीं हो जाता।
- 6. इस भर्ती से संबंधित सभी मामलों में इस निदेशालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकर होगा।
- 7. इस मामले में, बाद में किए गए सुधार/ संशोधन आदि, केवल डीपीएस वेबसाइट (https://recruit.barc.gov.in/barcrecruit/ या www.dpsdae.gov.in) पर अधिसूचित किए जाएंगे । अत: अभ्यर्थी नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें ।
- 8. लिखित परीक्षा (परीक्षाओं) हेतु बुलाए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के बाहरी स्थानों के केवल बेरोजगार अभ्यर्थियों को नियमानुसार सबसे छोटे मार्ग द्वारा एक व्यक्ति के द्वितीय श्रेणी (सामान्य) तक के आने-जाने के रेल किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी, यह एमपी/एमएलए/राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त बेरोजगार प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन होगी। यदि रियायती दर पर टिकट उपलब्ध हों तो रियायती वापसी किराए तक ही प्रतिपूर्ति सीमित होगी। यदि भारतीय रेल, बेरोजगार अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/दस्तावेज़ सत्यापन आदि में उपस्थित होने के लिए नि:शुल्क यात्रा की सुविधा देता है तो अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे उक्त सुविधा का लाभ लें।
- 9. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे सही सूचना दें। जो अभ्यर्थी गलत सूचना देंगे, उन्हें लिखित परीक्षा/नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- 10. अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि विज्ञापित पद/ग्रेड पर नियुक्ति और तैनाती का स्थान सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार और रिक्त पद की उपलब्धता के अनुसार होगी और इस प्रकार नियुक्त अभ्यर्थी भारत के किसी भी हिस्से में तथा परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में सेवा करने के लिए बाध्य होंगे। पद और तैनाती के स्थान के संबंध में अभ्यर्थियों को कोई भी विकल्प नहीं दिया जाएगा। काडर परिवर्तन और तैनाती के स्थान के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 11. नियुक्त अभ्यर्थी, केन्द्रीय सरकार की सेवा में लागू राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल किए जाएंगे । (यदि वे पहले से ही केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के अधीन न हो)
- 12. इस निदेशालय को विज्ञापित पद भरने या कोई कारण बताए बिना भर्ती की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देने का अधिकार सुरक्षित है।
- 13. दस्तावेज़ सत्यापन/ चिकित्सा परीक्षण / नियुक्ति इत्यादि के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

- 14. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित प्रमाणपत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी और निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की साक्ष्यांकित प्रति भी जमा करनी होगी:
 - ए) आवेदन की अंतिम तारीख तक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त किए जाने के सबूत के तौर पर शैक्षिक योग्यता के समर्थन में उचित अंकतालिकाएं/ प्रमाणपत्र, ऐसा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रह कर दी जाएगी।
 - बी) जन्म तारीख/आयु का प्रमाण
 - सी) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में, पदनामित प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए और उस समुदाय को संबंधित राज्य के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश में शामिल किया गया होना चाहिए। (अनुलग्नक 1 में दिए गए फार्मेट के अनुसार)
 - डी) अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाणपत्र नॉन-क्रीमी लेअर प्रमाणपत्र के साथ तथा निर्धारित प्रपत्र में, पदनामित प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ तथा नवीनतम वैधता तारीख का होना चाहिए और उस जाति/समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सुचियों में समाविष्ट होना चाहिए । (अनुलग्नक 3 में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार)
 - ई) विकलांगता के लिए उचित प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र (अनुलग्नक 4 में दिए गए फार्मेट के अनुसार –(केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए लाग्)
 - एफ) रक्षा सेवा से सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र (केवल पूर्व रक्षा कार्मिकों के लिए लागू)
 - जी) अभ्यर्थी के 1984 के दंगों से प्रभावित होने का सबूत । (यदि आयु सीमा में छूट हेतु दावा करते हैं)
 - एच) दिनांक 01/01/1980 से 31/12/1989 तक कश्मीर क्षेत्र में अधिवासी होने का प्रमाणपत्र (यदि कश्मीर क्षेत्र हेतु आयु सीमा में छूट के लिए दावा करते हैं)
 - आई) उपरोक्त अनुलग्नक और यात्रा भत्ता दावा प्रपत्र वेबसाइट पर Job application Download forms के अन्तर्गत उपलब्ध हैं।
- 15. अन्य अभ्यर्थियों के साथ रियायत मानकों के बिना अपनी निजी मेरिट पर चयनित अ.जा/ अ.जा.जा/ अ.पि.व. के विकलांग अभ्यर्थियों पर अनारक्षित रिक्त पदों के संबंध में विचार किया जाएगा बशर्तें पद, संबंधित श्रेणी के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हो। (यथा लागू)

VI. शारीरिक विकलांगता प्रमाणपत्र के संबंध में महत्वपूर्ण आवश्यकता

- 1. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम 1995 (1996 का 1) की धारा 73 की उपधारा (1) व (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31/12/1996 की विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण प्रतिभागिता) नियमावली, 1996 के अनुसार केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा । केंद्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाला चिकित्सा बोर्ड गठित करे जिसमें से कम से कम एक सदस्य संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए।
- 2. प्रमाणपत्र उन व्यक्तियों के लिए 05 वर्ष की अवधि तक ही वैध रहेगा जिनकी विकलांगता अस्थायी है। चिकित्सा बोर्ड को प्रमाणपत्र की वैधता अवधि इंगित करनी होगी जहां विकलांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की संभावना हो। जो व्यक्ति स्थाई रूप से विकलांग हों उनके प्रमाणपत्र स्थाई रूप से वैध दर्शाए जा सकते हैं। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन किए जाने पर, चिकित्सा बोर्ड, मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और उस मामले में. यथोचित आदेश पारित कर सकता है।

चेतावनी: जो आवेदन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होंगे उन्हें अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/दस्तावेज़ सत्यापन/ नियुक्ति के लिए नहीं चुने जाएंगे उनके साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

इस भर्ती से संबंधित उत्पन्न होने वाला कोई भी मामला मुंबई न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

जिन अभ्यर्थियों का चयन न हुआ हो उनका रिकार्ड, चयन सूची तैयार करने की तारीख से 6 माह की अवधि के बाद सुरक्षित नहीं रखा जाएगा।

किसी भी प्रकार के पक्ष-प्रचार को अयोग्यता माना जाएगा



Government of India Department of Atomic Energy Directorate of Purchase & Stores Vikram Sarabhai Bhavan, '0' floor, Anushaktinagar, Mumbai, Maharashtra – 400 094.



ADVERTISEMENT NO.: 2/DPS/2018

Combined Recruitment for the Post of Upper Division Clerk/ Junior Purchase Assistant/ Junior Storekeeper

"GOVERNMENT STRIVES TO HAVE A WORKFORCE WHICH REFLECTS GENDER BALANCE AND WOMEN CANDIDATES ARE ENCOURAGED TO APPLY"

I. Online applications are invited for the following Group 'C' posts from eligible candidates for filling up the vacancies of UDC/ JPA/ JSK in DPS, Mumbai, Regional Units of DPS all over India and in AERB, Mumbai.

1. NAME OF THE POST: UPPER DIVISION CLERK/ JUNIOR PURCHASE ASSISTANT/ JUNIOR STOREKEEPER – GROUP 'C' NON-GAZETTED

NUMBER OF	SC	ST	OBC	UR	TOTAL
VACANCIES	4	4*	15	11*	34
	*1 vacancy each will be filled in ST and UR Category in the grade of Upper				
	Division Clerk against the requirement of AERB, Mumbai.				
QUALIFICATION	Any Degree of a recognized University with an aggregate of minimum 50%				
	marks.				
	Desirable:				
	1. Minimum speed of 30w.p.m. in typewriting in English.				
	2. Knowledge of computer data processing.				
	3. Diploma in Materials Management. (For JPA/ JSK)				
AGE LIMIT	18 years minimum and 27 years maximum.				
PAY BAND	Level 4 in the Pay Matrix. Initial pay ₹25500/ Plus admissible allowances as				
	per Central Government Rules.				

II. AGE LIMIT & RELAXATION: 18 years minimum and 27 years maximum for all posts.

- (a) Relaxation in upper age limit up to a maximum of 5 years for SC/ST candidates and 3 years for OBC candidates.
- (b) Relaxation in upper age limit for PH candidates: UR- 10 years, SC/ST- 15 years and OBC 13 years.
- (c) Relaxation in the upper age limit of 5 years shall be admissible to all persons who had ordinarily been domiciled in Kashmir Division of the state of J&K during the period from the 1st day of January 1980 to 31st day of December, 1989 provided that the relaxation in the upper age limit for appearing at any examination shall be subject to the maximum number of chances permissible under the relevant rules. Any person intending to avail of this relaxation of age limit shall submit a certificate from:
 - (i) The District Magistrate in the Kashmir Division within whose jurisdiction he/she had ordinarily resided; or
 - (ii) Any other authority designated in this behalf by the Government of J&K to the effect that he/she had ordinarily been domiciled in the Kashmir Division of the State of Jammu & Kashmir during the period from the 1st day of January 1980 to the 31st day of December 1989.
- (d) Relaxation in the upper age limit of 5 years shall be admissible to children/family members of those who died in the 1984 riots.

- (e) For departmental candidates who have rendered not less than 03 years continuous and regular service in the same line or allied cadre as on last date of application, are eligible for relaxation in upper age limit as per Government orders.
- (f) **Age relaxation to ex-servicemen:** for Group 'C' posts, ex-service personnel who have put in not less than six months' continuous service in the Armed Forces shall be allowed to deduct the period of such service from his actual age and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age by more than three years, he/ she shall be deemed to satisfy the condition regarding age-limit.

<u>Note:</u> Only Birth Certificate or Secondary School Certificate will be accepted as proof of Date of Birth. No subsequent request for change shall be granted. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications.

III. METHOD OF SELECTION: Selection will be made on the basis of initial screening and then qualifying in the following combined competitive examinations for all the posts. After scrutiny of applications, eligible candidates will be issued with admit card to appear in the Competitive Written Examination. Examination will be held at Mumbai. Details of venues for the written examination will be notified later on this web site. Those who qualify in the Written Examination will have to appear for document verification in Mumbai.

EXAMINATION PATTERN (Combined exam for UDC/ JPA/ JSK):

Tier - I — Written Examination (Objective Multiple Choice Type)

Part	Subjects	Max	Duration	Duration for visually
		Marks/		handicapped
		Questions		candidates
A	General English	50		
В	General Knowledge	50		2 11
C	General Intelligence & Reasoning	50	2 Hours 2 Hours 40 Minutes	
D	Quantitative Aptitude	50		40 Minutes
	(Arithmetic)			

Tier - II — Written Examination (Descriptive Type)

2101 12 ((110001					
Subjects	Max	Duration	Duration for visually		
	Marks		handicapped candidates		
English Language & Comprehension	100	3 Hours	4 Hours		

Note:

- a) If and wherever felt necessary, the examination will be held in more than one batch.
- b) **Questions for Tier-I Exam will be of Objective Type Multiple Choice.** The questions will be set both in Hindi and English in respect of parts B, C, D. Questions for Part A will be in English.
- c) Candidates who are shortlisted on the basis of the Tier-I examination will be called for the Tier-II
 examination.
- d) Final selection will be based only on the marks scored in the Tier-II examination.

IV. SUBMISSION OF ON-LINE APPLICATION:

- 1. Candidates are required to apply online through https://recruit.barc.gov.in/barcrecruit/ or www.dpsdae.gov.in. No other means/ mode of application will be accepted.
- 2. Candidates are requested to go through carefully, the details of posts and instructions published in the advertisement.
- 3. Candidates are required to have a valid Email ID and mobile number. It should be kept active during the currency of this recruitment. This Directorate will send intimation about call letters for written examination, document verification etc. through the registered Email ID only.
- 4. The facility of online application will be opened on 01/09/2018 and closed on 30/09/2018.
- 5. Candidates are required to upload clear passport size photograph and signature in .jpg or .jpeg format while submitting the application. Size of photograph and signature should not be more than 50KB each.

V. GENERAL INSTRUCTIONS:

- 1. Candidates who have not acquired the educational qualification <u>as on the closing date for</u> receipt of application need not apply.
- 2. Persons working under the Central/ State Government/ Public Sector Undertakings should submit a "NO OBJECTION CERTIFICATE" from their employer at the time of document verification.
- 3. The vacancies shown above are provisional and liable to vary. The filling up of vacancies indicated in the advertisement is also subject to the approval of Competent Authority and subject to the orders issued by Government from time to time in this regard.
- 4. Only screened-in applicants will be called for competitive written test.
- 5. Mere fulfillment of requirements as laid down in the advertisement does not entitle a candidate to be called for written examination/ document verification.
- 6. The decision of this Directorate on all matters pertaining to this recruitment will be final and binding.
- Any subsequent amendments/modifications etc. on this matter will be notified in the DPS website
 only (https://recruit.barc.gov.in/barcrecruit/ or www.dpsdae.gov.in) which may be referred to by
 the candidates regularly.
- 8. Only unemployed outstation SC/ST candidates called for written test(s) will be eligible for reimbursement of to and fro journey expenses limited to single SECOND CLASS (General) railway fare by the shortest route as per rules subject to production of un-employment certificate from MP/MLA/Gazetted Officer. If concessional tickets are available, reimbursement will be limited to the concessional return fare only. In case Indian railway is offering free travel to unemployed candidates for attending written tests/skill tests etc. candidates are advised to avail the said facility.
- 9. Candidates may ensure that they fill in the correct information. Candidates who furnish false information are liable to be disqualified for written test/appointment.
- 10. Candidates may please note that appointment to the post/ grade advertised and place of posting will be at the discretion of the Competent Authority and subject to the availability of vacancy and that appointed candidates are liable to serve in any part of India and in any of the constituent units of the Department of Atomic Energy. No option regarding the post and the place of posting will be provided to the candidates. Any correspondence regarding change of cadre and place of posting will not be entertained.
- 11. The candidates appointed will be governed by National Pension Scheme applicable to Central Government Service [unless they are already governed by CCS (Pension) Rules 1972].
- 12. This Directorate reserves the right to fill up the advertised posts or to cancel the whole process of recruitment without assigning any reasons.
- 13. Travelling Allowance will not be paid to the candidates called for document verification/medical examination/appointment etc.
- 14. Candidates would be required to produce the relevant certificates in original and submit attested copies of the following certificates at the time of document verification after the written test:
 - a) Educational qualifications supported by appropriate mark sheets/certificates as proof of possessing the minimum educational qualification as on the closing date failing which the candidature of such candidate will be cancelled.
 - b) Date of birth/Proof of age.
 - c) SC/ST candidates' caste certificate should be issued by designated authority in the prescribed format and the community should have been included in the Presidential orders in relation to the concerned state (as per the format given in <u>Annexure-1</u>).
 - d) OBC candidates' caste certificate should be of a recent valid date and issued by designated authority in the prescribed format with non-creamy layer certificate and the caste/community should have been included in the Central lists of Other Backwards Class. (as per the format given in **Annexure-3**)
 - e) Disability Certificate from the appropriate authority regarding physical disability (as per the format given in **Annexure-4** applicable only for Persons with Disability)
 - f) Discharge Certificate from defence service (applicable to Ex-defence personnel only).
 - g) Proof to the effect that the applicant has been affected by 1984 riots (if claiming age relaxation).
 - h) Certificate regarding domicile in Kashmir Division from 01.01.1980 to 31.12.1989 (if claiming age relaxation for Kashmir Division).
 - i) Above mentioned Annexures and TA Claim form are available in the website under Job application Download forms.

15. Those SC/ST/OBC persons with disabilities selected on their own merit without relaxed standards along with other candidates; will be considered against unreserved vacancies provided the post is identified for persons with disability of relevant category (as applicable).

VI. IMPORTANT REQUIREMENT ABOUT PHYSICAL DISABILITY CERTIFICATE

- 1. According to the 'Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 1996' dated 31/12/1996 in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 73 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), a disability certificate shall be issued by a Medical Board duly constituted by the Central or a State Government. The Central/State Government may constitute a Medical Board consisting of at least three members, out of which, at least, one member shall be a Specialist from the relevant field.
- 2. The Certificate would be valid for a period of 5 years for those whose disability is temporary. The Medical Board shall indicate the period of validity of the certificate where there are chances of variation in the degree of disability. For those who have permanent disability, the validity can be shown as permanent. On representation by the applicant, the Medical Board may review its decision having regard to all the facts and circumstances of the case and pass such orders in the matter as it thinks fit.

<u>Warning</u>: Applications which are not in conformity with the requirements will be summarily rejected. No communication will be entertained from candidates not selected for written test/document verification/appointment.

Any dispute with regard to this recruitment will be subject to the Courts having jurisdiction in Mumbai only.

Record of the candidates not selected shall not be preserved beyond 6 months from the date of formation of Select List.

CANVASSING IN ANY FORM SHALL BE A DISQUALIFICATION